

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक /
सं० सं०-05/उ०नि०ब० (विविध पत्राचार) 04/2018

पटना, दिनांक

प्रेषक,
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सहायक उद्योग निदेशक(लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।
महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र, बिहार (पूर्णिमा, शेखपुरा एवं समस्तीपुर को छोड़कर)

विषय : कार्यालयों की मासिक रोकड़ बही का लेखा मिलान बैंक स्टेटमेंट से नियमित रूप से किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक 7838, दिनांक 24.10.18 एवं संबंधित विभागीय ज्ञापांक 4624, दिनांक 26.10.18 के आलोक में उद्योग निदेशालय के पत्रांक 4033, दिनांक 19.11.18 द्वारा आपको अपने कार्यालय की मासिक रोकड़ बही का लेखा मिलान बैंक स्टेटमेंट से नियमित रूप से करते हुए संबंधित प्रतिवेदन उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग को त्रैमासिक आधार पर प्रेषित करने तथा इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। किन्तु, अभी तक आपके कार्यालय से इस संबंध में कोई प्रतिवेदन या सूचना प्राप्त नहीं हुई है। विदित हो कि सभी बैंक खातों की विभाग के स्तर पर समीक्षा की जानी है ताकि अनावश्यक बैंक खातों को बंद कर उसमें संचित राशि को राज्य की समेकित निधि में जमा कराया जा सके।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों की मासिक रोकड़ बही का लेखा मिलान बैंक स्टेटमेंट से नियमित रूप से करते हुए इससे संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन त्रैमासिक आधार पर उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग को प्रेषित करें तथा इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करायें।

कृपया इसे अति आवश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4545

पटना, दिनांक 13.12.18

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।